'संस्थानों का अनुदान कम करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी'

- हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिणक संस्थान अधिनियम की धारा 7(1) में प्रावधान है कि अनुदान को संस्थानों की ओर से अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और राज्य इसे कभी भी रोक सकती है। यह केवल प्रारंभिक चरण में लागू होता है
- कोर्ट ने आगे कहा कि जब अनुदान स्वीकृत हो जाता है तो उसमें किसी भी तरह की कमी करने से पूर्व राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिणक संस्थाओं (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तों आदि) के नियम 18 का पालन करना होगा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सहायता प्राप्त संस्थानों का अनुदान कम करने से छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती है। ऐसे में सरकार संस्थान का पक्ष सुने बिना अनुदानित शिक्षण संस्थानों का अनुदान कम नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिणक संस्थान अधिनियम की धारा 7(1) में प्रावधान है कि अनुदान को संस्थानों की ओर से अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और राज्य इसे कभी भी रोक सकती है। यह केवल प्रारंभिक चरण में लागू होता है और जब अनुदान स्वीकृत हो जाता है तो उसमें किसी भी तरह की कमी करने से पूर्व राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिणक संस्थाओं (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तों आदि) के नियम 18 के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में सरकार की ओर से अनुदान कम करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अवनीश झिंगन ने यह आदेश वैदिक कन्या महाविद्यालय व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि संबंधित संस्था द्वारा किसी भी सहायता का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान अनुदान की मंजूरी के प्रारंभिक चरण में लागू होगा। एक बार सहायता प्रदान हो जाने पर, श्रेणी बदलने या सहायता को रोकने या कम करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। श्रेणी में परिवर्तन और सहायता अनुदान में कमी से संस्थान के छात्रों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। याचिका में अधिवक्ता अजीत मालू कहा गया कि उन्हें पूर्व में सरकार की ओर से अनुदान मिलता था, लेकिन बाद में उनका अनुदान कम का दिया गया। जबकि इससे पहले उनका पक्ष भी नहीं सुना गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता आदित्य सिंह ने कहा कि अनुदान रोकने, कम करने या उसे निलंबित करने का सरकार को अधिकार है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।

चक्रधर स्वामीजी और गोविन्द प्रभुजी ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया : राज्यपाल

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को राजापार्क स्थित श्री गोपाल मंदिर में चक्रधर प्रभु व भगवान गोविन्द प्रभु की पूजा की।

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे सोमवार को राजापार्क स्थित श्री गोपाल मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां चक्रधर प्रभु व भगवान गोविन्द प्रभु महाराज की पूजा-अर्चना कर उनसे राष्ट्र और राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

बागडे ने कहा कि चक्रधर स्वामी और गोविन्द प्रभु महाराज के अवतार उत्सव पर उनकी दी हुई शिक्षाओं से हमे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संतों के जीवन आदर्श जीवन जीने की हमें सीख देते हैं। चक्रधर स्वामी जी और गोविन्द प्रभु जी महाराज ने समाज में फैली कुरूतियों को दूर कर रूढियों के बंधन से मुक्त किया।

सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी के जीवन और आदर्शो की चर्चा करते हुए राज्यपाल बागडे ने कहा कि वह वैष्णवाद परंपरा के प्रमुख प्रतिपादक ही नहीं थे बल्कि जाति, पाति, धर्म भेद से परे उन्होंने मानवता के धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि चक्रधर स्वामी ने "महानुभव पंथ" की स्थापना की और इसके जरिए से समाज के सभी वर्गो को जोडने का काम किया।

बागडे कहा कि भगवान चक्रधर स्वामी मराठी भाषा के जन्मदाता माने जाते हैं। कवयित्री महदंबा उनकी शिष्या थीं। मराठी के आद्यग्रंथ लीलाचरित्र में चक्रधर स्वामी की जीवनी समाविष्ट है। राज्यपाल ने कहा कि "महानुभव पंथ" में पांच कृष्णो के विचार प्रमुख हैं। यह पांच कृष्ण, दत्तात्रेय प्रभु, चक्रपाणि, गोविन्दा प्रभु और स्वयं चक्रधर स्वामी। उन्होंने कहा कि चक्रधर स्वामी जन-जन से जुडे आलोक-पुरूष थे। उन्होंने जनता में एकता और समभाव का संदेष दिया। चक्रधर स्वामी ने अपने उपदेश मराठी भाषा में ही दिए। संक्षिप्त शैली में उनके सूत्र अर्थपूर्ण हैं। जीवन के मर्म को समझने वाले हैं। उन्होंने चक्रधर स्वामी की चार प्रमुख शिक्षाओं - अहिंसा, तप, ब्रह्मचर्य और भक्ति की चर्चा की।

बागडे कहा कि गोविन्दा प्रभु भी महान समाज सुधारक थे। उन्होंने छुआछूत, जात-पात के भेद से समाज को मुक्त किया। आरंभ में उनका बहुत विरोध हुआ परंतु उन्होंने इसकी परवाह नहीं की संत ऐसे ही होते हैं।

राजस्थान वीरों की भूमि, इस पर पराक्रम के अनेक प्रतिनिधि जन्मे : राजनाथ सिंह

- उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर को सैनिक स्कूल की सौगात देने पर आभार व्यक्त किया
- सैनिक स्कूल युवाओं के समग्र विकास के लिए अनुशासन, देशभक्ति और साहस के मूल्यों को विकसित करते हैं : कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर स्थित श्री भवानी निकेतन सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान संस्था की ओर से स्कूल का चित्र उन्हें उपहार में दिया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और पूर्व सांसद रामचरण बोहरा मौजूद थे।

जयपुर। केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस क्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जयपुर स्थित श्री भवानी निकेतन सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने इन 100 स्कूलों में से 45 स्कूल राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी स्कूलों के सहयोग से खोलने को मंजूरी दी गई। इनमें से 40 स्कूलों में शैक्षिणक गतिविधियां शुरू हो गयी है, और श्री भवानी निकेतन सैनिक स्कूल, जयपुर उनमें से एक है। जयपुर में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुये रक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है इस भूमि पर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराज सूरजमल और सवाई जयसिंह जैसे शौर्य और पराक्रम के अनेक प्रतिनिधि जन्मे। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देने का जो संकल्प है, वह संकल्प इस भूमि के कण-कण में बसा हुआ है। उन्होने विश्वास व्यक्त किया की ये सैनिक स्कूल के विधार्थी देश प्रेम की ऐसी भावना से ओतप्रोत होंगे साथ ही उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन मिलेगा।

इससे पहले उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जयपुर को सैनिक स्कूल की सौगात देने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो खुद एक सैनिक की बेटी हैं और इस पर उन्हें गर्व है। राजस्थान में बड़ी संख्या में सैनिकों के परिवार रहते हैं। यहां सैनिक स्कूल खुल जाने से ऐसे परिवारों को मदद मिलेगी। 2014 के बाद पीएम और रक्षा मंत्री ने साफ किया कि अब देश में रक्षा को लेकर मजबूत घेरा है। इसलिए चिंता की बात नहीं हैं। नए भारत में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर पीएम जवानों का मनोबल बढ़ाते है। सेना के साथ सरकार खड़ी हैं। खुद रक्षा मंत्री भी इस बात का संदेश देते रहे हैं। 2021 में केंद्र ने 100 सैनिक स्कूल की स्वीकृति दी थी। अब स्कूल की पढ़ाई भी देश भक्ति की भावना के साथ होगी।

सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में जयपुर में श्री भवानी निकेतन सैनिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में सहभागिता की व प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दीं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने नवस्थापित सैनिक स्कूल जयपुर की सौगात देने के लिए केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, संपूर्ण राजस्थान को एक और ऐतिहासिक सैनिक स्कूल की सौगात मिली है। यह हम सभी के लिए गर्व का पल है।

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सांसद मंजू शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, राजपूत सभा भवन अध्यक्ष रामसिंह चंदलाई भी मौजूद रहे।

पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की पुत्री का निधन

जयपुर, (का.सं.)। पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की इकलौती पुत्री दिव्या लोढ़ा का निधन 23 सितम्बर को हो गया। वे कई दिनों से अस्वस्थ चल रहीं थीं और उनका उपचार चल रहा था। विजय लोढ़ा की पत्नी स्व. दिव्या लोढ़ा की अंतिम यात्रा एसडीसी, अशोक मिलबर्न, अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर से लाल कोठी मोक्षधाम के लिये 24 सितम्बर को साढ़े नौ बजे रवाना होगी। उनका उठावना 25 सितम्बर को सी-स्कीम स्थित उनके निवास पर रखा गया है।

मेयर मुनेश गुर्जर को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के खिलाफ याचिका

जयपुर, (का.सं.)। नगर निगम से पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत लेने से जुड़े मामले में एसीबी कोर्ट की ओर से आरोप पत्र पेश होने के दौरान हेरिटेज नगर निगम आयुक्त मुनेश गुर्जर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले के परिवादी सुधांशु सिंह की ओर से पेश इस याचिका पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई करेगा।

याचिका में अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने बताया कि मामले में एसीबी ने गत 19 सितंबर को मुनेश गुर्जर सहित अन्य के खिलाफ एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। एसीबी ने मुनेश गुर्जर को नोटिस जारी कर इस दौरान एसीबी कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था।

केंद्रीय मंत्री का विरोध, काले झंडे दिखाए

जयपुर, (का.प्र.)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश का नंबर वन आतंकवादी बताने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के जयपुर आने पर जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर आर तिवाडी के नेतृत्व मे सोमवार को सीबीआई फाटक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बावजूद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाये। इसके बाद गिरफ्तार नेताओं को विभिन्न थानों में लेकर गए, जिसमें खो नागोरिया, प्रताप नगर, मालवीय नगर, रामनगरिया और दिन भर थाने में बैठा कर रखा गया। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर आर तिवाडी के नेतृत्व में पीसीसी महासचिव जसवंत गुर्जर, स्वर्णिम चतुर्वेदी, अतुल पारस, राजेंद्र यादव सहित लगभग 150 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी।

52 अटल प्रगति पथ बनेंगे

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में लगभग 206.35 करोड़ रुपये की लागत के अटल प्रगति पथों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। 10,000 से ज़्यादा की आबादी के गांवों में एक मुख्य सड़क को अटल प्रगति पथ के रूप में विकसित किया जाएगा।

183 आर.ए.एस. अफसरों के तबादले

- 67 उपखंड अधिकारियों को बदला

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार ने आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस.) के 183 अधिकारियों के तबादले किये हैं। कार्मिक विभाग के आदेशानुसार इनमें से 67 उपखंड अधिकारियों को बदला गया है।

आदेशानुसार राजेश सिंह को राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर में कार्यकारी निदेशक, विवेक कुमार को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में अतिरिक्त महानिरीक्षक, रामलाल गुर्जर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त निदेशक, सुरेश कुमार नवल को राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर, सुनील भाटी को कॉलेज शिक्षा में अतिरिक्त आयुक्त, डॉ.वीरेन्द्र सिंह को अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक, दाताराम को सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त शासन सचिव, सुश्री प्रियंका जोधावत को संस्कृत शिक्षा विभाग में आयुक्त, मुन्नी मीना को शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव, मुकेश कुमार मीणा को राजस्थान मेडिकल एजूकेशन सोसायटी (राजमेस) का अतिरिक्त निदेशक, विनीता सिंह को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रथम, लोकेश कुमार सहल को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में संयुक्त शासन सचिव, नीलिमा तक्षक को मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में निदेशक, मेघराज सिंह मीणा को समेकित बाल विकास सेवाएं में अतिरिक्त निदेशक, ममता राव को यूआईडी प्रोजेक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में विशेषाधिकारी, सुमन पंवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर-चतुर्थ, उत्तम सिंह शेखावत को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर में निदेशक एवं पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त निदेशक, मधु रघुवंशी को शांति एवं अहिंसा विभाग में उप निदेशक, सीमा शर्मा-1 को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, सोविला माथुर का गृह विभाग में शासन उप सचिव, अनुपमा टेलर को समेकित बाल विकास सेवा में अतिरिक्त निदेशक, रविन्द्र कुमार शर्मा को कृषि विपणन विभाग में अतिरिक्त निदेशक, शैफाली कुशवाहा को प्रशासनिक सुधार विभाग में शासन उप सचिव, अशोक कुमार शर्मा-1 को नगर निगम जयपुर ग्रेटर का उपायुक्त, राकेश कुमार शर्मा-1 को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में उप निदेशक, शेर सिंह लुहाड़िया को जिला परिषद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्रह्मलाल जाट को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उपायुक्त, कुंतल विश्नोई को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर-3, राजेन्द्र सिंह शेखावत-1 को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर-प्रथम, तारामति वैष्णव के जयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त, राजेन्द्र सिंह-2 को राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद एवं पदेन शासन सचिव, खेल एवं युवा मामलात विभाग, मुकेश कुमार मूंड को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर उत्तर, शीलावती मीणा को सामान्य प्रशासन विभाग में प्रोटोकोल अधिकारी, विश्वामित्र मीणा को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का सम्पदा अधिकारी, प्रियंका तलानिया को जयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त, मनीष कुमार को जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का प्रबंध निदेशक, प्रगति आसोपा को राज्य मानवाधिकार आयोग का उप सचिव, सरिता मलहोत्रा को नगर निगम जयपुर हैरिटेज में उपायुक्त, उपेन्द्र कुमार शर्मा को जयपुर विकास प्राधिकरण का उपायुक्त, विनित कुमार सुखाड़िया को स्थानीय निकाय विभाग में सहायक निदेशक, कनक जैन को सहायक कलेक्टर चौमूं, मनीषा चौधरी को राज्य निर्वाचन अधिकारी में सहायक सचिव के पद पर लगाया गया है।

वहीं मोहल दान रत्नू और राम सिंह गुर्जर का तबादला निरस्त किया गया है। इसके अलावा दाताराम को सामान्य प्रशासन विभाग में उप मुख्य प्रोटोकोल अधिकारी एवं कंट्रोलर सर्किट हाऊस एवं नियंत्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्टेट मोटर गैराज विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

शोक समाचार

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्रवधु

श्रीमती दिव्या लोढ़ा

(धर्मपत्नी श्री विजय लोढ़ा)

का आकस्मिक निधन दिनांक 23 सितम्बर 2024 को हो गया है।

अन्तिम यात्रा SDC अशोक मिलबर्न, अंहिसा सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर से दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 9:30 बजे लाल कोठी मोक्षधाम के लिये रवाना होगी।

उठावना तारीख 25 सितम्बर 2024 को प्रातः 10:00 बजे

निवासः SDC अशोक मिलबर्न, अंहिसा सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर पर रखा गया है।

शोकाकुल

श्रीमती मंजू- गणपत चन्द लोढ़ा (सास- ससुर) विजय लोढ़ा (पति),
नीलम-सुनील लोढ़ा (देवरानी- देवर), साक्षी- पुलकित लोढ़ा (पुत्रवधु- पुत्र), अपूर्व (देवर पुत्र),
श्रीमती कुसुम लोढ़ा (काकी सास), श्रीमती चन्द्रा- सुखदेव चन्द लोढ़ा (काकी सास, ससुर), श्रीमती विद्या लोढ़ा (ताई सास),
सुरेन्द्र, नरेन्द्र, कैलाश, राजीव, संजीव, जगदीश, प्रवीण, प्रदीप, रवि लोढ़ा (देवर) एवं समस्त लोढ़ा परिवार
पीहर पक्ष- शान्ति धारीवाल (पिता) एकता- अमित (भाभी-भाई) गर्वित (भतीजा)
आरसी (भतीजी) व समस्त धारीवाल परिवार कोटा।

विजय लोढ़ा- 9873452021/7367010950 पुलकित लोढ़ा- 9650365533

खोया पाया

मेरा मकान सं.-1/NA/20, जवाहर नगर, जयपुर का मूल आंवटन पत्र व मूल कब्जा पत्र कही गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करे- रणदीप सिंह- 7877333703

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7 / 2024 / डी-1368 दिनांक :- 03.09.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मनी कंवर पत्नी श्री समुन्द सिंह द्वारा समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र साईट प्लान, रसीद, प्रथम सूचना रिपोर्ट व अखबार में खोया पाया की प्रति के आधार पर जवाहरपुरी गृ.नि.स.स.लि. की योजना - आचार्य विनोबा भावे नगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या-बी 36 का पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। उक्त दस्तावेजात के आधार पर मूल भूखण्ड संख्या-बी-36 का पट्टा आवेदिका के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदिका के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-7 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

मेरे पुत्र अभिमन्यु सिंह जादौन के केंद्रीय विद्यालय संगठन के कागजों में गलती से मेरे पुत्र का अभिमन्यु सिंह एवम मेरा व मेरी पत्नी का नाम गलती से नरेन्द्र सिंह व रितु आंकाक्षा सिंह हो गया है जबकि पुत्र का सही नाम अभिमन्यु सिंह जादौन एवम मेरा व मेरी पत्नी का सही नाम नरेन्द्र सिंह जादौन व आकांक्षा राजावत है और यहीं सहीं नाम है। नरेन्द्र सिंह जादौन व आकांक्षा राजावत 11 एच 166 इंदिरा गांधी नगर, गोदावरी मार्ग, जगतपुरा जयपुर 302017।

दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि

जी-20, कृष्णा मार्ग, सी स्कीम, जयपुर
टेलीफोन नं. 0141-2360373, 2372384

वार्षिक आम सभा की सूचना

बैंक के समस्त योग्यता धारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बैंक की 35वीं वार्षिक आम सभा की बैठक दिनांक 27.09.2024 शुक्रवार को मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे अजंता फार्म हाउस, प्लॉट नंबर- ए.बी.सी. सुन्दर नगर, रूंगटा मार्ग, निर्माण नगर-ई के पास 200 फीट बाई-पास अजमेर रोड़, जयपुर पर आहूत की गई है। आम सभा की बैठक में भाग लेने हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। उक्त बैठक हेतु निर्धारित कोरम पूर्ण नहीं होने की अवस्था में स्थगित आम सभा की बैठक दिनांक 27.09.2024 को ही सायं 5.00 बजे उसी स्थान पर आयोजित की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

आम सूचना हर आम जन को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री अतुल अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश अग्रवाल आयु 38 वर्ष निवासी सी-90-डी, मदर टैरसा नगर, मालवीय नगर, जयपुर का है, जो प्लाट नम्बर सी-90-ई, मदर टैरसा नगर, मालवीय नगर, जयपुर को क्रय करना चाहता है। यह कि उक्त उक्त प्लाट नम्बर सी-90-ई, मदर टैरसा नगर, मालवीय नगर, जयपुर के सम्बन्ध में किसी भी आम जन को किसी प्रकार की काई आपत्ति होती है, तो 15 दिवस तक की समयावधि तक सूचित करे।

(सतीश कुमर गर्ग) एडवोकेट, मो.-9829060086

श्री चिन्ताहरण बालाजी मंदिर सेवा समिति मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक राजस्थान

सार्वजानिक सूचना

उद्देश्य-मंदिर मै साधु संतों की सेवा एवं धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम करना, विकास से जुडे कार्यक्रम, मन्दिर रख रखाव, भोजन-पानी आदि की व्यवस्था करना।

अध्यक्ष-मुकेश कुमार मित्तल, मंत्री मधुसूदन शर्मा, कोषाध्यक्ष कमल कुमार जैन एवं अन्य सदस्य गण कार्यालय श्री चिन्ताहरण बालाजी मंदिर सेवा समिति मालपुरा।

अध्यक्ष-मुकेश कुमार मित्तल
आज्ञा से-श्री चिन्ताहरण बालाजी मंदिर सेवा समिति मालपुरा

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक :- 3829 दिनांक - 09/09/24

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 173/204 (MIG-B) का आवंटन श्री सुनील बंसल पुत्र श्री बेनी प्रसाद को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3513 दिनांक 27.08.2001 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1107 दिनांक 12-07-2002 के द्वारा श्री भगवान देवी पत्नी श्री हरिकृष्ण खण्डेलवाल के पक्ष मे किया गया। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 29.09.2006 को कर दिया गया। श्री भगवान देवी द्वारा उक्त आवास को श्री हरिनारायण जायसवाल पुत्र श्री धन्नालाल जायसवाल को विक्रय कर इनके पक्ष मे विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2006 को उप पंजीयक (चतुर्थ) जयपुर, मे पंजीकृत करवाया गया। श्री हरिनारायण जायसवाल की मृत्यु दिनांक 23.12.2016 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल पुत्र स्व. श्री हरिनारायण जायसवाल द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज करने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मैं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल पुत्र स्व. श्री हरिनारायण जायसवाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 271/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री राजेन्द्र गिरी निवासी प्लॉट नं. 301-ए, पथ नं.-4, जमना नगर, सोडाला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत सोसायटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिफरेन्टली एबेल्ड (Society for The Rehabilitation of Persons with Differently Abled) कार्यालय पता-प्लॉट नं.301-ए, पथ नं.-4, जमना नगर, सोडाला जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 18/9/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 22/11/24

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों का
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

कार्यालय : राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने, कांकरदा भूणाभाय, जयपुर रोड, अजमेर

मुकदमा नम्बर : 159/टोंक/2024

चूंकि डॉ हरिशंकर शर्मा अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत संत श्री रामप्रसाद दास धमार्थ संस्थान निवाई, टोंक पता-खसरा न.369/4 एवं खसरा न.369/5 ग्राम अलियाबाद तहसील निवाई जिला टोंक के पंजीयन हेतु प्रन्यास के संबंध में जाँच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतः एवं धारा 18 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित नीति से निर्णित किया जावेगा तथा जाँच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18/9/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय गया।

आगामी तारीख पेशी : 02/12/24 की मोहर के अधीन जारी किया

मोहर

(गिरीश कुमार बचानी)
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

आम सूचना दिनांक 23.09.24

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भू-खण्ड संख्या 12, श्री करणी विहार, गोकुलपुरा जयपुर, भू-खण्ड संख्या 32, निरंकारी कॉलोनी, गोकुलपुरा जयपुर एवं भू-खण्ड संख्या 32, गगन विहार, हरनाथपुरा, निवारू रोड जयपुर का एकमात्र मालिक एवं काबिज मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री गौरी लाल उर्फ गोरू है। समस्त मूल दस्तावेजात् भी मोहनलाल शर्मा के पास प्लॉट से है। अन्य किसी व्यक्ति से उक्त तीनो प्लॉट या कोई एक या उसका भाग नही खरीदें, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

फेजान हुसैन (एडवोकेट)
आफिस - 2199, नसीम मंजिल, चांदपोल बाजार, चौकडी तोपखाना देश, जयपुर मो.8824515124

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

उप मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर / परियोजना / जयपुर भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से खुली निविदा सं. एस एण्ड टी-प्रोजेक्ट जेपी 2024-25-03 जिसकी बंद होने की तिथि 15.10.2024 समय 15:00 बजे तक का ऑन लाईन ई-टेण्डर आंमत्रित किया जाता है। कोई भी मैनयुअल टेण्डर संबंध में स्वीकार नहीं किया जावेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है उसको देखा नहीं जावेगा। **कार्य का नाम एवं लोकेशनः** उत्तर पश्चिम रेलवे पर इंडिजेनस ट्रेन कोलिशन अवॉयडेंस सिस्टम (कवच) का प्रावधान और अन्य सम्बन्धित कार्य का प्रावधान, **अनुमानित लागतः** रूपये 506313986.94, **धरोहर राशि रूपयेः** रूपये 2681600.00, **टेण्डर जमा करने की अंतिम तारीखः** 15.10.2024 सांयः 15:00 बजे, **वेब साईट का विवरण और नोटिस बोर्ड की लोकेशनः** www.ireps.gov.in or उप मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर/परियोजना / जयपुर ऑफिस। 1099-PS/24

हमे /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 279/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री रजनीश माणिक चन्द बोहरा निवासी प्लॉट नं. सी-3, गोकुल वाटिका, जे.एल.एन मार्ग, जवाहर सर्किल जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत नवनीत चिकित्सा अनुसन्धान ट्रस्ट कार्यालय पता-प्लॉट नं. ए-42, गोकुल वाटिका. जे.एल.एन. मार्ग जवाहर सर्किल जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में जाचं किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकरी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोइ आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जाचं ग्रसित मामले मे निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 19/9/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 27/11/24

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों का
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

कार्यालय : राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने, कांकरदा भूणाभाय, जयपुर रोड, अजमेर

मुकदमा नम्बर : 158/टोंक/2024

चूंकि श्री राजेन्द्र शर्मा अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत गांधी गौशाला समिति टोंक जिला टोंक पता-कंकाली माताजी मंदिर के सामने टोंक के पंजीयन हेतु प्रन्यास के संबंध में जाँच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतः एवं धारा 18 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित नीति से निर्णित किया जावेगा तथा जाँच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 18/9/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय गया।

आगामी तारीख पेशी : 02/12/24 की मोहर के अधीन जारी किया

मोहर

(गिरीश कुमार बचानी)
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

कार्यालय उपायुक्त (विधाधर नगर जोन) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

क्र.- एफ 55( ) वि.जोन/न.नि.ज.(ग्रे)/2024/1833

सार्वजनिक सूचना दिनांक 23.09.2024

भूखण्ड सं. 70, श्रीरामनगर डी, झोटवाडा, जयपुर सोसायटी भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा क्षेत्रफल 211 वर्गगज का श्री पूरणमल गुप्ता पुत्र श्री मोती लाल गुप्ता के नाम आंवटन जारी किया गया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री कैलाश चंद शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा द्वारा भूखण्ड सं. 70, श्रीरामनगर डी, झोटवाडा, जयपुर का क्षेत्रफल 177.77 वर्गगज का पट्टा चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के पट्टा बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पट्टा जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त विधाधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जय कुमार था। अब मैंने बदलकर जय कुमार वाघवानी रख लिया है। भविष्य में मुझे जय कुमार वाघवानी के नाम से जाना जाएें। पता- ए-3, फ्लेट नं.-302 नेहरू नगर पानीपेच, जयपुर

मै ज्योति गहरवार निवासी 22 सोमलपुर रोड, दीपदर्शन कॉलोनी, अजमेर (राजस्थान), सूचित करती हूँ कि मेरी दसवी कक्षा की मार्कशीट में मेरा नाम ज्योति गलत दर्ज है जबकि मेरा सही नाम ज्योति गहरवार है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

मैं हंस कुमार, निवासी 123, शिवनगर प्रथम, मुरलीपुरा स्कीम के सामने, जयपुर ने अपना नाम बदलकर हंस कुमार शर्मा कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

I Rohit S/o Jai Singh R/o Budaniya, Jhunjhunun, Budania, Rajasthan-333025, have changed my name to Rohit Tanania.

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)

न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय, झुंझुनूं
रामस्वरूप वगैरह बनाम प्यारेलाल वगैरह
मु. नं.:- 01/2022

प्रेषितः- 1. शिशपाल पुत्र गुलझारी, 2. शारदा पुत्री गुलझारी, 3. अजय पुत्र होशियार सिंह, 4. अनिल पुत्र होशियार सिंह, 5. अशोक पुत्र होशियार सिंह, 6. आकाश पुत्र हरचन्द, 7. रिची पुत्री हरचन्द समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम खाजपुरा का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज.), 8. नाहर सिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी खाजपुरा पुराना तहसील व जिला झुंझुनूं राजस्थान, 9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीरूसिंह सर्किल झुंझुनूं जरिये प्रबंधक, 10. केनरा बैंक शाखा झुंझुनूं जरिये प्रबंधक, 11. इलाहाबाद बैंक शाखा झुंझुनूं जरिये प्रबंधक

उक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि नकल संलग्न है। अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए तारीख 30.09.2024 को समय 10 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे, तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यदि तारीख 12966/12.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखंड अधिकारी, झुंझुनूं (राज.)

कार्यालय, नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा (कोटपूतली-बहरोड)

नावोदय स्कुल के पास पावडा-303106, राज.
फोन.01421&294619 Email.id:nagarrpalikapaotapragpura@gmail.comwebsite-www.paotapragpura.com

क्रमांकःन पा.पाव.प्रा./2024-25/भू/958 प्रारूप-10 (नियम 6(7) दिनांक 23/09/2024

लोक सूचना

नरपत सिंह पुत्र कल्याण सिंह, सतोष सिंह शेखावत पुत्र रामवतार सिंह शेखावत निवासी ललाना जिला-कोटपुतली-पावटा ने कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
पावटा-कोटपुतली-बहरोड	प्रागपुरा	2333/2045	2500.00 वर्गमीटर	आवसीय

इसलिए इसके द्वारा समस्त सबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियक 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वाक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस क प्रकाशन के 07 दिन के साथ भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजो के साथ आक्षेप सकेगा।

उपर्युक्त नियम समय-समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी को आक्षेप नही है। और तदानुसार मामले को निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर व मोहर के अधिन आज दिनांक 23/9/24 को जारी की गई है।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका प्रागपुरा, जिला कोटपूतली-बहरोड़